क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड ने लिया परीक्षा व्यवस्था का जायजा, पुलिस लाइन महोबा में नवचयनित आरक्षियों (RTC) की मासिक परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न...।

जनपद महोबा की पुलिस लाइन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नवचयनित रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण (आर.टी.सी.) प्रदान किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में प्रशिक्षणरत आरक्षियों की मासिक परीक्षा आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को समय पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा परीक्षा के दौरान सभी कक्षों का भ्रमण कर परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने आर.टी.सी. प्रभारी एवं प्रशिक्षण स्टाफ को निर्देशित किया कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता, नकलमुक्त वातावरण एवं अनुशासनपूर्वक संपन्न कराई जाए, जिससे प्रशिक्षार्थियों की वास्तविक योग्यता का आकलन हो सके।

क्षेत्राधिकारी द्वारा रिक्रूटआरक्षियों से संवाद में कहा कि प्रशिक्षण काल में प्रत्येक परीक्षा उनके ज्ञान, व्यवहारिक दक्षता एवं पुलिसिंग के प्रति निष्ठा की परीक्षा है। उन्होंने सभी को अपने प्रशिक्षण काल में उच्च अनुशासन, शारीरिक दक्षता एवं विधिक ज्ञान अर्जित कर एक संवेदनशील, दक्ष एवं जनसेवी पुलिसकर्मी के रूप में खुद को तैयार करने हेतु प्रेरित किया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा भी प्रशिक्षण व्यवस्था एवं परीक्षाओं की गुणवत्ता पर निरंतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है ताकि भविष्य में महोबा से प्रशिक्षित होने वाले पुलिसकर्मी प्रदेश पुलिस की एक उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्यशैली के प्रतीक बन सकें।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 06.11.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 05.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 अवनीश कुमार यादव, उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा चेकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त दीपू सिंह ठाकुर पुत्र फूल सिंह ठाकुर उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा को ग्राम पहरेथा से पुपवारा जाने वाले मोड़ से पहले वहद ग्राम पहरेथा थाना खरेला के पास से गिरफ्तार किया गया । इस दौरान अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किये गये । अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव 2. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
3. का0 दीपक मौर्या

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

- दीपू सिंह ठाकुर पुत्र फूल सिंह ठाकुर उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी –

एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होना

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 06.11.2025

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

"पाक्सो एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास तथा 3000/- हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.11.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) महोबा द्वारा वादिया के घर में घुसकर गालियां देना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धित अभियोग में नामित अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02 वर्ष के कारावास सहित 03 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत अपराध संख्या 17/2020 धारा 452/354क/504/506 भादवि, 08 पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त नरेश ढीमर पुत्र मुन्ना ढीमर निवासी पुरानी मछली मंडी कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

अमन सिंह
विशेष लोक अभियोजक

कां. बीरेन्द्र कुमार
पैरोकार- थाना कुलपहाड़